श्री विक्रम बक्शी व अन्य

बनाम

सुश्री सोनिया खोसला (मृतक) जरिये विधिक वारीसान

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 2010 का 6873

8 मई, 2014

[सुरिंदर सिंह निज्जर एवं ए.के. सीकरी न्यायमूर्तिगण]

कंपनी कानून: सहयोगकारी करार – दो समूह सहयोगात्मक व्यावसायिक उद्यम के लिए एक साथ शामिल हुए – उनके बीच विवाद निदेशक की नियुक्ति व शेयरधारण के संबंध में – कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के समक्ष कंपनी याचिका – सीएलबी द्वारा पारित अन्तरिम आदेश – उच्च न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश का स्थगन – चुनौती – अवमानना याचिकाएँ और धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी याचिकाएँ दायर की गईं – जहां तक

कंपनी के मामलों का सवाल है, पूरी तरह से गतिरोध बना हुआ है और जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक संयुक्त उद्यम यानी रिसॉर्ट विकसित करने का कोई संभावना नहीं है – एक समूह द्वारा कंपनी की

याचिका के शीघ्र निर्णय हेतु एक बेहतर विकल्प के रूप में सीएलबी बताया, ताकि पार्टियों के बीच कम से कम मुख्य विवाद पर शीघ्र निर्णय हो सके – दूसरे समूह ने उक्त कार्यवाही के लिए सहमति दी - दोनों पक्षों के बीच कार्रवाई की प्रक्रियात्मक प्रक्रिया पर सहमति बनी है, जिससे मौजूद मामले, एसएलपी, अवमानना याचिकाएँ व धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाएँ भी शांत/निस्तारित किया जा सके- सीएलबी को कंपनी याचिकाएँ 6 माह में निस्तारित करेने के आदेश दिये जाते हैं – कंपनी याचिका के लंबित रहने के दौरान पक्षकार यथापूर्व स्थिति कायम रखे - वैकल्पिक विवाद समाधान वैकल्पिक विवाद समाधान: मध्यस्था – उद्देश्य और लाभ – विचार विमर्श किया गया – व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 89

उत्तरदाता – के समूह व याचिकाकरता – बी समूह सहयोगात्मक व्यावसायिक उद्यम के लिए जुड़े। उक्त दोनों समूहों के बीच समस्याओं के चलते, प्रोजेक्ट रुक गया। के समूह ने कंपनी अधिनियम के धारा 397 व 398 के तहत बी समूह के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत कर याचिकाकर्ता को निदेशक मण्डल से हटाने के आदेश का निवेयन किया और यह भी कि बी समूह के निदेशक, एजीएम में पुष्ट नहीं होने से दिनांक 30.09.2006 को निदेशक नहीं रहे।

इस बीच दिनांक 18.12.2007 को के समूह द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निदेशक मण्डल द्वारा के समूह में से कंपनी के निदेशक नियुक्त किए गए थे और के समूह के ग्यारह लोगों को 6.58 लाख एक्यूटी शेयर आवंटित किए।

कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) ने दिनांक 31.01.2008 को आदेश पारित कर शेयरधारिता और कंपनी के निदेशकों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जैसा कि याचिका दायर करने की तारीख यानी 13.8.2007 को मौजूद था। इस आदेश में टिप्पणियाँ की गईं कि प्रतिवादी-एसके ने सीएलबी की संरचना को बदलकर और कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी। उत्तरदाता-एसके ने सीएलबी के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीएलबी के समक्ष जाली दस्तावेज दाखिल किए गए थे। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांकित 31.01.2008 की क्रियान्विति पर रोक लगादि। उक्त कारण से ये एसएलपी, अवमानना याचिकाएँ एवं धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाएँ दायर की गयी।

एसएलपी, अवमानना याचिकाओं एवं धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर याचिकाओं का निस्तारण किया जा रहा है।

अभिनिर्धारित किया गया:

1. पक्षकारान के मध्य 80 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मुख्य विवाद को छूते भी नहीं हैं क्योंकि वे या तो अवमानना याचिका, (सिविल या आपराधिक) या धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका, आदि की प्रकृति में हैं। पार्टियों के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि वे कम से कम सीपीसी की धारा 89 के तहत मध्यस्थता का सहारा लेने के लिए सहमत हों और दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करें। मध्यस्थता का एक उद्देश्य विवाद का शीघ्र समाधान निकालना है। विवाद का जितनी जल्दी समाधान हो जाए, विशेष रूप से सभी संबंधित पक्षों और सामान्य रूप से समाज के लिए उतना ही बेहतर होगा। पार्टियों के लिए, विवाद न केवल रिश्ते को तनावपूर्ण बनाता है बल्कि उसे नष्ट भी कर देता है। और, जहां तक समाज का सवाल है तो इसका असर उसकी शांति पर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विवाद का यथाशीघ्र और ऐसे तंत्र के माध्यम से समाधान किया जाए

जहां व्यक्तियों के बीच संबंध स्वस्थ तरीके से चलते रहें। [पैरा 13 व 15] [755-A-B-E-H]

2. मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जिसे वैधानिक रूप से हमारी न्याय प्रणाली में लागू किया गया है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों में से एक है और विवाद को निजी, तेज़ और किफायती तरीके से हल करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ हस्तक्षेपकर्ता दो या दो से अधिक बातचीत करने वाले पक्षों को चिंता के मामलों की पहचान करने, उनकी स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने और उस बेहतर समझ के आधार पर उन चिंताओं को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव विकसित करने में सहायता करता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय लेने के दर्शन को अपनाता है। इस प्रकार, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप होने के कारण मध्यस्थता प्रतिकूल मुकदमेबाजी से एक बदलाव है। जब पक्ष एक सतत संबंध की इच्छा रखते हैं, तो मध्यस्थता उनके संबंधों का निर्माण और सुधार कर सकती है। संचार को बनाए रखना, विकसित करना और सुधारना, समझ के पुल बनाना, आपसी लाभ के लिए समाधान के विकल्प ढूंढना, स्पष्ट से स्पष्ट की तलाश करना, समस्या के नीचे गोता लगाना और विवादित पक्षों के अंतर्निहित हितों की खोज करना, रिश्तों को बनाए रखना

और सहयोगात्मक समस्या समाधान करना शामिल है। मध्यस्थता के कुछ मूलभूत लाभ. यहां तक कि उन मामलों में भी जहां रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, मध्यस्थता सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम रही है, जिससे पक्षों के बीच शांति और सौहार्द बहाल हुआ है। [पैरा 15 व 16] [766-B-G]

3. केस जीतने और समाधान ढूंढने में हमेशा अंतर होता है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार समस्याओं में भागीदार के बजाय समाधान में भागीदार बनेंगे। मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की सुंदरता यह है कि यह एक समाधान ला सकता है जो न केवल पार्टियों की संतुष्टि के लिए हो सकता है और इसलिए, जीत की स्थिति पैदा कर सकता है, जो परिणाम न्यायिक निर्णय के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सभी संबंधित पक्षों के लिए मध्यस्थता के साथ जीवन और रिश्ते चलते हैं और इस प्रकार समाज में शांति और सद्भाव पैदा होता है। वादकारियों को संतुष्टि प्रदान करते हुए, यह हमारे सिस्टम में देरी की समस्या को भी हल करता है और देश की आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय वृद्धि और विकास में योगदान देता है। [पैरा 17] [776-G, H; 777-A-B]

4. मध्यस्थता न्याय तक पहुंच का नया आयाम है। चूंकि यह संघर्ष समाधान का सर्वोत्तम नहीं तो सर्वोत्तम रूपों में से एक है। मध्यस्थता में

न्याय की अवधारणा प्रोफेसर स्टूलबर्ग, लव, हाइमन और मेन्केल-मेडो (आत्मनिर्णय सिद्धांतकारों) के कार्यों में उन्नत है। न्याय की उनकी परिभाषा मुख्य रूप से पार्टी के आत्मनिर्णय के अभ्यास से ली गई है। वे उस जादू के बारे में आशान्वित हैं जो तब घटित हो सकता है जब लोग बेहिचक निजी चर्चा में अपनी जरूरतों और डर के बारे में ईमानदारी और सहानुभूतिपूर्वक खुलकर बात करते हैं। और, विचारकों के रूप में, ये न्यायविद आशावादी हैं कि मानवीय भावना की उदारता संरचनात्मक असंतुलन और संसाधन बाधाओं पर विजय पा सकती है। मध्यस्थता विवाद के सभी पक्षों को स्वीकार्य एक उचित समाधान सुनिश्चित करती है जिससे 'जीत-जीत' की स्थिति प्राप्त होती है। यह केवल मध्यस्थता है जो पक्षों को उनके विवादों और उसके समाधान दोनों पर नियंत्रण देती है। यह मध्यस्थता है जिसके माध्यम से पक्षकार एक-दूसरे के साथ वास्तविक अर्थों में संवाद कर सकते हैं, जो कि विवाद शुरू होने के बाद से वे नहीं कर पाए हैं। यह मध्यस्थता है जो प्रक्रिया को स्वैच्छिक बनाती है और पार्टियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं करती है। यह मध्यस्थता है जो कीमती समय, ऊर्जा के साथ-साथ लागत भी बचाती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ सकता है। यह

मध्यस्थता है जो दीर्घकालिक हित पर ध्यान केंद्रित करती है और पक्षों को निपटान के लिए कई विकल्प बनाने में मदद करती है। यह मध्यस्थता है जो टूटे हुए रिश्ते को बहाल करती है और अतीत को विच्छेदित करने पर नहीं बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मूल्यों के एक वैकल्पिक सेट पर आधारित है जिसमें औपचारिकता को प्रक्रिया की अनौपचारिकता, पार्टियों की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा निष्पक्ष परीक्षण प्रक्रियाओं, मानक निर्माण द्वारा लगातार मानदंड प्रवर्तन, विश्वसनीय साथियों की भागीदारी द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता आदि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह न्याय की एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करता है। [पैरा 18] [777-C-E; 778-F-H; 779-A-B]

5. बी समूह की ओर से संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधानों को लागू करने का निकेदान किया गया और यह भी प्रस्ताव रखा कि पार्टियों के बीच विभिन्न अदालतों में लंबित संपूर्ण मुकदमेबाजी को ऐसी शर्तों पर रखकर समाप्त करें, जो यह अदालत दोनों पक्षों के लिए न्यायसंगत मानती है। बख्शी ग्रुप की ओर से उन्होंने खोसला ग्रुप को 50% जमीन सरेंडर करने/देने का प्रस्ताव भी दिया और साथ ही रुपये की राशि भी दी। 6.40 करोड़, उन्होंने यहां तक कहा कि यदि यह न्यायालय उक्त राशि को अपर्याप्त

पाता है तो न्यायालय को अधिक राशि तय करने का अधिकार होगा। हालाँकि, यह दूसरे पक्ष को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उनके अनुसार न केवल वे पूरी ज़मीन पाने के हक़दार हैं जो उनकी है बल्कि बख्शी समूह उन्हें जो मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है वह उस राशि से कई गुना अधिक होगा। की पेशकश की। कहीं हमें गलत न समझा जाए, हम किसी भी पक्ष को दोष नहीं दे रहे हैं। हमने यह संकेत केवल पार्टियों के बीच हुए विवाद की भयावहता का संकेत देने के लिए दिया है। साथ ही, चूंकि अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग प्रकृति के कई मामले लंबित हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना और उन सभी मामलों को हल करना संभव नहीं है। हालाँकि, हमें स्थिति पर दुख है। पार्टियों के बीच एमओयू/सहयोग समझौते से जो विवाद पैदा हुआ है, वह अनोखा या अभूतपूर्व नहीं है। इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। आए दिन इस तरह के मुकदमे होते रहते हैं जो सुश्री सोनिया खोसला द्वारा सीएलबी में दायर किए जाते हैं। हालाँकि, जो अभूतपूर्व है वह यह है कि सीएलबी के समक्ष एक याचिका से उत्पन्न आज पार्टियों के बीच कार्यवाही की संख्या बढ़ने के साथ इस मुकदमे ने भयानक रूप धारण कर लिया है। [पैरा 20] [779-D-H; 778-A-B]

6. के समूह द्वारा यह सुझाव दिया एक बेहतर विकल्प के रूप में सीएलबी के समक्ष कंपनी की याचिका का निर्णय ताकि पार्टियों के बीच कम से कम मुख्य विवाद पर शीघ्र निर्णय हो सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मुद्दे इन दो विशेष अनुमति याचिकाओं के विषय हैं और उच्च न्यायालय में कार्यवाही से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति दिनांक 31.1.2008 के आदेशों में हुई है, जो सीएलबी द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश है। इस प्रकार, उन्होंने बताया कि एक बार कंपनी की याचिका पर निर्णय हो जाने के बाद, इसमें शामिल मुद्दे, जैसे कि क्या 14.12.2007 की बोर्ड बैठक अवैध थी या क्या 30.9.2006 की बोर्ड बैठक कानूनन वर्जित थी, पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सीएलबी यह भी निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि कथित तौर पर 30.9.2006 को आयोजित कंपनी की एजीएम के मिनट्स जाली हैं या नहीं और उसके आधार पर धारा 340 सीआर के तहत आवेदन किया जाएगा। कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष दायर की गई पीसी की देखभाल भी सीएलबी द्वारा ही की जाएगी। बख्शी समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कामा द्वारा सुझाई गई कार्रवाई के उपरोक्त तरीके से तुरंत सहमत हो गए। हमें खुशी है कि कम से कम दोनों पक्षों के बीच कार्रवाई की प्रक्रियात्मक प्रक्रिया पर सहमति बनी है, जिससे हमारे सामने मौजूद

मामलों को भी शांत किया जा सके। उपरोक्त सर्वसम्मति के मद्देनजर, पार्टियों के बीच विवादों को तय करने में अपनाई जाने वाली कार्रवाई के बारे में, हम कंपनी लॉ बोर्ड को निर्देश देते हैं कि वह सुश्री सोनिया खोसला द्वारा उसके समक्ष दायर 2007 की कंपनी याचिका संख्या 114 पर एक निश्चित अवधि के भीतर निर्णय लें। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने। चूंकि, यह सीएलबी ही है जो धारा 340 सीआर के तहत आवेदन पर निर्णय लेगा। सुश्री सोनिया खोसला द्वारा सीएलबी में दायर पीसी, उच्च न्यायालय को आपराधिक विविध के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। (को.) 2008 की संख्या 3। इसी तरह यह सवाल कि क्या श्री आरके गर्ग को निदेशक के रूप में वैध रूप से शामिल किया गया था या नहीं, सीएलबी द्वारा विचार किया जाएगा, श्री आरके गर्ग द्वारा दायर 2009 की कंपनी अपील संख्या (एसबी) 23 में कार्यवाही उच्च न्यायालय में भी निरर्थक हो जाते हैं। [पैरा 21] [780-D-H; 781-A-C]

7. बी समूह अंतराल को जारी रखने के लिए सीएलबी द्वारा दिनांक 31.1.2008 को पारित आदेश चाहता है। दूसरी ओर, खोसला समूह दिनांक 11.4.2008 के आदेशों का हवाला देता है क्योंकि उनका कहना है कि यह सीएलबी के आदेशों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सहमति आदेश

था और इसलिए, इस आदेश को इस बीच क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहिए। सीएलबी द्वारा पारित दिनांक 31.1.2008 के आदेश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.4.2008 के आदेश को लागू करना आवश्यक नहीं है। तथ्य यह है कि जहां तक कंपनी के मामलों का सवाल है, पूरी तरह से गतिरोध बना हुआ है। परियोजना शुरू नहीं हुई है. वर्तमान में यह लगभग मृतप्राय है। 21.12.2005 के एमओयू के अनुसार, जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक संयुक्त उद्यम यानी रिसॉर्ट विकसित करने का कोई मौका नहीं है। सीएलबी के निर्णय के बाद ही, जिससे पार्टियों के संबंधित अधिकार स्पष्ट हो जाएंगे, इस परियोजना के भविष्य के बारे में जानना संभव होगा। यहां तक कि विचाराधीन कंपनी भी वर्तमान में निष्क्रिय है क्योंकि इसकी कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि या उद्यम नहीं है। ऐसी स्थिति में, हमारी राय है कि सीएलबी के समक्ष उपरोक्त कंपनी की याचिका लंबित होने के दौरान पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना अधिक उचित आदेश होगा। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए कुछ अंतरिम आदेशों की आवश्यकता होती है, तो उचित निर्देशों के लिए पार्टियों को सीएलबी से संपर्क करने का अधिकार होगा। [पैरा 22, 23] [781-D-H; 782-A]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 6873/ 2010

दिल्ली उच्च न्यायालय के क्रिमिनल मिसेलेनियस नं. 3/2008 में निर्णय व आदेश दिनांकित 15.05.2010 से

सहित

एसएलपी(सी)सं. 23796-23798/2010

कंटेम्प्ट पेटीशन (सीआरएल) वर्ष 2013 की नं. 4

पक्षकार दीपक खोसला (कंटेम्प्ट पेटीशन (सीआरएल) वर्ष 2013 की नं. 4 में याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से), (एसएलपी(सी)सं. 23796-23798/2010 में याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत रूप से) की ओर से विकास सिंह, निदेश गुप्ता, जे. पी. कामा, राजीव शर्मा,उदयम मुखर्जी, साहिल भालैक, मनोज, अपर्णा सिन्हा, अभिजीत पी मेध, शशि मोहन

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया -

ए.के. सिकरी, न्यायमूर्ति

1. दो समूहों के बीच मुकदमेबाजी का सिलसिला उनके बीच एक गंभीर लड़ाई को दर्शाता है जहां समझौता एक दूर का सपना प्रतीत होता है,

कम से कम अब तक, सख्त रुख अपनाने के साथ और विवादों के प्रत्येक पहलू/बारीकियों पर, वे शामिल हो गए हैं समस्याएँ। हालाँकि, हम कम से कम एक पहलू पर सहमतिपूर्ण दृष्टिकोण पाकर खुश हैं। इस न्यायालय में आए इन मामलों में भविष्य में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए (यद्यपि अंतरिम आदेशों के विरुद्ध) क्योंकि कार्यवाही अभी भी कंपनी लॉ बोर्ड या उच्च न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर लंबित है। पार्टियों के बीच मुख्य विवाद के शीघ्र समाधान के लिए दूरियों को दूर करने और बारीकियों को दूर करने के उद्देश्य से इस सकारात्मक रुख की सराहना की जानी चाहिए। इस कारण से, प्रत्येक मामले में शामिल विवाद को बताने के अलावा, हमारा उद्देश्य इसमें शामिल मुद्दों की बारीकियों में गए बिना, पार्टियों के बीच सहमति के अनुसार अपनाई जाने वाली कार्रवाई के तरीके को बताने में पूरा होगा। इस परिचय के साथ हम नीचे इन याचिकाओं में विवाद की प्रकृति का वर्णन करते हैं।

2010 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 6873

2. जब दोनों पक्ष सहयोगात्मक व्यावसायिक उद्यम के लिए एक साथ जुड़ते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि रिश्ता एक-दूसरे पर आपसी विश्वास और विश्वास के साथ शुरू होता है। ऐसे रिश्ते को बढ़ावा देने के समय, वे उम्मीद

करते हैं कि प्रस्तावित व्यावसायिक उद्यम में संयुक्त प्रयासों से, वे अद्वितीय मील के पत्थर हासिल करने में सक्षम होंगे, जो अन्यथा उनके व्यक्तिगत प्रयासों से असंभव होगा। एक साथ जुड़ने का उद्देश्य एक और एक को दो नहीं बल्कि ग्यारह बनाना है। हालाँकि, समय के साथ, यदि दुर्भाग्यपूर्ण और अप्रत्याशित परिस्थितियों/घटनाओं के कारण, रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है और दो सहयोगी साझेदार अलग हो जाते हैं, तो इसका परिणाम ऐसी स्थिति में होता है, जहाँ एक माइनस वन न केवल शून्य हो जाता है, बल्कि नकारात्मक हो जाता है। शायद वर्तमान मुकदमेबाजी की यही कहानी है और यदि विवादों को शीघ्र निर्णय प्रक्रिया द्वारा या पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, तो नकारात्मक कारक बढ़ता रहेगा और अपना दायरा बढ़ाता रहेगा, जो कि हमारे समक्ष उपस्थित पक्षकार के लिए अनुकूल नहीं होगा।

3. इसमें उत्तरदाता (बाद में खोसला समूह के रूप में संदर्भित) कसौली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख भूमि के मालिक हैं। कानूनी तौर पर, यह भूमि मॉन्ट्रियाक्स रिज़ॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में है। लिमिटेड (संक्षेप में एमआरएल) और एमआरएल की शेयर होल्डिंग पहले विशेष रूप से खोसला समूह के परिवार के सदस्यों के पास थी। इस रियल

एस्टेट को एक प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना उनका दृष्टिकोण था। खोसला समूह को इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित वित्त और प्रशासनिक विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं (बाद में बख्शी समूह के रूप में संदर्भित) ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वास्तव में इसकी कल्पना दोनों समूहों के एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस प्रयोजन के लिए श्री दीपक खोसला, श्री आरपी खोसला, एमआरएल और श्री विक्रम बख्शी के बीच दिनांक 21.12.2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना खोसला समूह और श्री विक्रम बख्शी के बीच संयुक्त उद्यम थी, जिसमें बख्शी समूह को आवश्यक वित्त लगाना था और पूरे प्रोजेक्ट का प्रबंधन करके प्रशासन का प्रभार लेना था। एमआरएल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन था। एमओयू में खोसला समूह द्वारा एमआरएल में शेयरधारिता को विक्रम बख्शी द्वारा पूर्व में की गई कुछ मांगों पर स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई थी।

4. दिनांक 23.12.2005 के एमओयू के अनुसार, श्री विनोद सूरा और श्री वाडिया प्रकाश (श्री विक्रम बख्शी के नामित) को एमआरएल के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रस्तावित परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिवादी, श्री दीपक खोसला की पत्नी सुश्री सोनिया

खोसला, श्री आरपी खोसला, एमआरएल और श्री विक्रम बख्शी के बीच दिनांक 31.3.2006 को एक समझौता किया गया था। समझौते में दर्ज किया गया कि कंपनी में 51% शेयरधारिता श्री विक्रम बख्शी को हस्तांतरित कर दी गई थी। उक्त समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि:

(क) परियोजना के लिए भूमि एमआरएल के नाम पर खरीदी जाएगी।

(ख) भूमि के विकास, परियोजना के प्रबंधन और वित्त की व्यवस्था की जिम्मेदारी श्री विक्रम बख्शी की होगी।

(ग) खोसला को कुल मिलाकर रु. का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न मील के पत्थर के पूरा होने पर 6.44 करोड़ रुपये की राशि। 3.30 करोड़ रुपये का ऋण 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में दिया जाना था।

(घ) खोसला एमआरएल में अपनी पूरी हिस्सेदारी श्री विक्रम बख्शी को बेच देंगे।

5. कुछ कारणों से (दोनों समूहों के पास इस संबंध में एक-दूसरे के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप के अपने-अपने संस्करण हैं) परियोजना शुरू नहीं हो पाई और आपसी अविश्वास और विश्वास की कमी के बीज बोने के साथ

खराब मौसम में चली गई। इसके कारण सुश्री सोनिया खोसला ने बख्शी समूह के खिलाफ कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत एक याचिका दायर की, हालांकि उस याचिका में उन्होंने खोसला परिवार के कुछ सदस्यों को भी प्रतिवादी (परफॉर्मा प्रतिवादी हो सकते हैं) के रूप में शामिल किया था । उनका आरोप था कि कंपनी में उनके 49% शेयर थे जिन्हें घटाकर 36% कर दिया गया था और कंपनी के मामलों को अल्पसंख्यक शेयरधारकों के लिए दमनकारी तरीके से प्रबंधित किया जा रहा था। इस याचिका में उन्होंने स्वीकार किया कि बहुमत हिस्सेदारी श्री विक्रम बख्शी के पास थी।

6. उक्त याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ, याचिकाकर्ताओं को कंपनी के निदेशक मंडल से हटाने का आदेश पारित करने के लिए राहत की प्रार्थना की गई थी। उपरोक्त याचिका में विभिन्न विविध आवेदन दायर किये गये। उनमें से विशेष रूप से श्री विक्रम बख्शी द्वारा दायर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 8 के तहत एक आवेदन था । श्री विनीत खोसला ने भी खुद को कंपनी का निदेशक होने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया और आरोप लगाया कि श्री वाडिया प्रकाश और श्री विनोद सूरह 30.9.2006 को कंपनी के निदेशक नहीं रहे क्योंकि एजीएम में उनकी पुष्टि

नहीं की गई थी। कंपनी की और, इसलिए, बोर्ड द्वारा श्री विक्रम बख्शी की बाद की नियुक्ति कानून की दृष्टि से खराब थी।

7. एक और महत्वपूर्ण विकास जो हुआ वह यह था कि 18.12.2007 को कंपनी की कथित बैठक सुश्री सोनिया खोसला और श्री विनय खोसला द्वारा आयोजित की गई थी जिसमें श्री दीपक खोसला और श्री आरके गर्ग को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और इस बैठक में कंपनी के बोर्ड ने खोसला ग्रुप के ग्यारह लोगों को 6.58 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किये। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बख्शी ग्रुप का तर्क है कि 18.12.2007 को हुई यह कथित बैठक अवैध रूप से गठित बोर्ड की थी। बख्शी समूह ने यह भी माना कि श्री वाडिया प्रकाश और श्री विनोद सूरह कानूनी रूप से नियुक्त निदेशक बने रहेंगे और इसी तरह कंपनी के बोर्ड द्वारा श्री विक्रम बख्शी की नियुक्ति भी कानून के अनुसार थी।

8. कंपनी लॉ बोर्ड (सीएलबी) ने दिनांक 31.1.2008 को आदेश पारित कर शेयरधारिता और कंपनी के निदेशकों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जैसा कि याचिका दायर करने की तारीख यानी 13.8.2007 को मौजूद था। इस आदेश में टिप्पणियाँ की गईं कि प्रतिवादी-

सोनिया खोसला ने सीएलबी की संरचना को बदलकर और कंपनी की शेयर पूंजी को बढ़ाकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी।

9. सीएलबी के इस आदेश से व्यथित होकर श्री आरपी खोसला ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की। हालाँकि, उन्होंने अपील वापस लेने की अनुमति मांगी। 11.4.2008 को, यह देखते हुए कि पार्टियां इस बात पर सहमत हुई थीं कि सीपी नंबर 114/2007 को वापस लिया जाना है और उक्त याचिका दायर करने की तारीख पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, उक्त सीपी को वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। सोनिया खोसला ने भी सीएलबी के 31.1.2008 के उसी आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। इसे भी गुण-दोष के आधार पर 22.4.2008 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। श्री आरपी खोसला और सोनिया खोसला दोनों ने क्रमशः 11.4.2008 और 22.4.2008 के आदेशों की समीक्षा की मांग करते हुए समीक्षा याचिकाएं दायर कीं। ये समीक्षा याचिकाएँ भी 6.5.2008 को ख़ारिज कर दी गईं।

10. जैसे ही चीजें उस स्तर पर थीं, उपरोक्त कार्यवाही का प्रभाव यह हुआ कि सीएलबी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.1.2008 का संचालन जारी

रहा। यही वह समय था जब मुकदमेबाजी ने पूरी तरह से एक अलग मोड़ लेना शुरू कर दिया।

11. सुश्री सोनिया खोसला ने सीएलबी के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 340 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीएलबी के समक्ष जाली दस्तावेज दाखिल किए गए थे। हालाँकि, जबकि यह आवेदन अभी भी सीएलबी के समक्ष लंबित है, अक्टूबर, 2008 में उसने धारा 340 सीआर के तहत एक और आवेदन दायर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में उन्हीं आधारों पर पीसी, जो सीएलबी के समक्ष आवेदन में लिए गए थे। उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर सीआरपीसी की धारा 340 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 195(i)(b)(ii) के तहत मुकदमा चलाने की मांग की। पीसी ने आरोप लगाया कि कथित तौर पर 30.9.2006 को आयोजित कंपनी की एजीएम के मिनट्स जाली थे। उसमें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कारण यह बताया गया था कि उसे उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके समक्ष उसके आवेदन पर सीएलबी की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता थी। उसने अपने आवेदन को सीआरपीसी की धारा 340 की उपधारा 2 पर आराम देने की मांग की। उच्च न्यायालय में इसकी

पोषणीयता हेतु पी.सी. इस आवेदन में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.2.2010 के आदेश पारित किये गये हैं और वह आदेश वर्तमान कार्यवाही में चुनौती का विषय है। जैसा कि आसानी से समझा जा सकता है, याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि आवेदन धारा 340 सीआर के तहत है। पीसी रखरखाव योग्य नहीं है.

एसएलपी(सी)सं. 2010 का 23796-98

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुश्री सोनिया खोसला द्वारा दायर कंपनी याचिका में सीएलबी द्वारा दिनांक 31.1.2008 को अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, जिसमें पार्टियों को शेयरधारिता और कंपनी के निदेशकों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था क्योंकि यह तिथि पर मौजूद थी। कंपनी याचिका दायर करने की तारीख यानी 13.8.2007। इसके परिणामस्वरूप 14.12.2007 को कंपनी की कथित बोर्ड बैठक का कोई असर नहीं हुआ, जिसमें श्री दीपक खोसला और श्री आरके गर्ग को निदेशक के रूप में शामिल किया गया था और खोसला के व्यक्तियों को 6.58 लाख इक्विटी शेयरों का आवंटन भी किया गया था। समूह। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस आदेश को आरपी खोसला और सुश्री सोनिया खोसला दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर

करके चुनौती दी थी। जबकि श्री आरपी खोसला द्वारा दायर अपील 11.4.2008 को खारिज कर दी गई थी, सुश्री सोनिया की अपील 22.4.2008 को योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई थी और उन दोनों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाएं भी 6.5.2008 को खारिज कर दी गई थीं। हालाँकि, श्री आरके गर्ग, जिन्हें 14.12.2007 को आयोजित कथित बैठक में निदेशक के रूप में लिया गया था, ने भी सीएलबी के आदेश से व्यथित महसूस किया। यथास्थिति आदेश का प्रभाव यह हुआ कि उक्त आदेश के अस्तित्व के दौरान उन्हें कंपनी के निदेशक के रूप में नहीं माना जा सका। श्री आर.के. गर्ग ने 26.2.2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके इस आदेश को चुनौती दी। उस रिट याचिका में यथास्थिति के आदेश 7.4.2008 को पारित किए गए थे, हालांकि, 9.4.2009 को, श्री आरके गर्ग (यहां प्रतिवादी नंबर 1) ने इस याचिका को वापस ले लिया क्योंकि सीएलबी के विवादित आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय प्रदान किया गया था। कंपनी अधिनियम की धारा 10 एफ के तहत। रिट याचिका वापस लेने के बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने 2009 की कंपनी अपील संख्या (एसबी) 23 दायर की। इस अपील में उच्च न्यायालय के कंपनी न्यायाधीश ने आवेदन में उक्त अपील में नोटिस जारी

करते हुए दिनांक 13.4.2010 को आदेश पारित किया है। देरी की माफी के साथ-साथ स्थगन आवेदन में भी। इसके साथ ही, उच्च न्यायालय ने सीएलबी द्वारा पारित दिनांक 31.1.2008 के आदेशों के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है, जहां तक कि उसने प्रतिवादी नंबर 1 की शेयरधारिता और निदेशक पद को रद्द कर दिया है। तत्काल वर्तमान विशेष अनुमति याचिका उपरोक्त आदेश दिनांक 13.4 को चुनौती देती है। 2010 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया, मुख्य रूप से इस आधार पर कि चूंकि अपील विलंबित होने तक समय-बाधित है, इसलिए कानून की नजर में कोई अपील नहीं है और इसलिए, उच्च न्यायालय अंतरिम आदेश पारित नहीं कर सकता था।

13. यद्यपि उपरोक्त दो एसएलपी हमारे समक्ष मुख्य कार्यवाही हैं, इन कार्यवाही में भी धारा 340 सीआर के तहत अवमानना याचिकाएं और याचिकाएं शामिल हैं। पीसी दाखिल की गई हैं. इसके अलावा, ऊपर बताई गई घटनाओं के वर्णन से पता चलता है कि मुख्य कार्यवाही सीएलबी के समक्ष कंपनी अधिनियम की धारा 397-98 के तहत सुश्री सोनिया खोसला द्वारा दायर कंपनी याचिका है, जहां कंपनी के मामलों से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जाना है। हालाँकि, इस मामले से, कई अन्य कार्यवाहियाँ सामने

आई हैं। दरअसल, आज की तारीख में पार्टियों के बीच 80 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से अधिकांश मुख्य विवाद को छूते भी नहीं हैं क्योंकि वे या तो अवमानना याचिका, (सिविल या आपराधिक) या धारा 340 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका, आदि की प्रकृति में हैं।

14. जैसा कि इस आदेश की शुरुआत में कहा गया है, हालांकि यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट विकसित करने में दो समूहों का सहयोगात्मक प्रयास होने वाला था और कुछ कारणों से पार्टियां अलग हो गई हैं, एक कानूनी कार्रवाई जो कंपनी के दाखिल होने के साथ शुरू हुई थी सीएलबी के समक्ष सुश्री सोनिया खोसला की याचिका आज बहुत बड़ी कटुता में बदल गई है। इन सभी आकस्मिक और परिधीय कार्यवाहियों के साथ, जिन्हें केंद्र स्तर पर ले जाने की अनुमति है, मुख्य विवाद जो सीएलबी के समक्ष कंपनी की याचिका का विषय है, पीछे हट गया है। अदालती कार्यवाही के दौरान विभिन्न स्तरों पर यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या पक्षों के बीच विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सकता है। हालाँकि, आज तक इन प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ है।

15. हमारे अनुसार पार्टियों के लिए यह अधिक उपयुक्त होगा कि वे कम से कम सीपीसी की धारा 89 के तहत मध्यस्थता का सहारा लेने के

लिए सहमत हों और दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करें। मध्यस्थता का एक उद्देश्य विवाद का शीघ्र समाधान निकालना है। विवाद का जितनी जल्दी समाधान हो जाए, विशेष रूप से सभी संबंधित पक्षों और सामान्य रूप से समाज के लिए उतना ही बेहतर होगा। पार्टियों के लिए, विवाद न केवल रिश्ते को तनावपूर्ण बनाता है बल्कि उसे नष्ट भी कर देता है। और, जहां तक समाज का सवाल है तो इसका असर उसकी शांति पर पड़ता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विवाद का यथाशीघ्र और ऐसे तंत्र के माध्यम से समाधान किया जाए जहां व्यक्तियों के बीच संबंध स्वस्थ तरीके से चलते रहें। वॉरेन बर्गर ने एक बार कहा था:

> "कानूनी पेशे का दायित्व है... मानव संघर्ष के उपचारकर्ता के रूप में सेवा करना... (हमें) ऐसे तंत्र प्रदान करने चाहिए जो कम से कम संभव समय में, कम से कम संभव खर्च के साथ और प्रतिभागियों पर न्यूनतम तनाव के साथ स्वीकार्य परिणाम दे सकें। न्याय का यही तो मतलब है।"

मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जिसे वैधानिक रूप से हमारी न्याय प्रणाली में लागू किया गया है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों में

से एक है और विवाद को निजी, तेज़ और किफायती तरीके से हल करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तटस्थ हस्तक्षेपकर्ता दो या दो से अधिक बातचीत करने वाले पक्षों को चिंता के मामलों की पहचान करने, उनकी स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने और उस बेहतर समझ के आधार पर उन चिंताओं को हल करने के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव विकसित करने में सहायता करता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय लेने के दर्शन को अपनाता है [अल्फ़िन, एट अल।, मध्यस्थता सिद्धांत और अभ्यास, (दूसरा संस्करण). 2006) लेक्सिस नेक्सिस।

16. इस प्रकार, वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप होने के कारण मध्यस्थता प्रतिकूल मुकदमेबाजी से एक बदलाव है। जब पक्ष एक सतत संबंध की इच्छा रखते हैं, तो मध्यस्थता उनके संबंधों का निर्माण और सुधार कर सकती है। संचार को बनाए रखना, विकसित करना और सुधारना, समझ के पुल बनाना, आपसी लाभ के लिए समाधान के विकल्प ढूंढना, स्पष्ट से स्पष्ट की तलाश करना, समस्या के नीचे गोता लगाना और विवादित पक्षों के अंतर्निहित हितों की खोज करना, रिश्तों को बनाए रखना और सहयोगात्मक समस्या समाधान करना शामिल है। मध्यस्थता के कुछ मूलभूत लाभ. यहां तक कि उन मामलों में भी जहां रिश्तों में कड़वाहट आ

गई है, मध्यस्थता सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम रही है, जिससे पक्षों के बीच शांति और सौहार्द बहाल हुआ है।

17. केस जीतने और समाधान ढूंढने में हमेशा अंतर होता है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकार समस्याओं में भागीदार के बजाय समाधान में भागीदार बनेंगे। मध्यस्थता के माध्यम से समाधान की सुंदरता यह है कि यह एक समाधान ला सकता है जो न केवल पार्टियों की संतुष्टि के लिए हो सकता है और इसलिए, जीत की स्थिति पैदा कर सकता है, जो परिणाम न्यायिक निर्णय के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, सभी संबंधित पक्षों के लिए मध्यस्थता के साथ जीवन और रिश्ते चलते हैं और इस प्रकार समाज में शांति और सद्भाव पैदा होता है। वादकारियों को संतुष्टि प्रदान करते हुए, यह हमारे सिस्टम में देरी की समस्या को भी हल करता है और देश की आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय वृद्धि और विकास में योगदान देता है।

18. इस पीठ का दृढ़ मत है कि मध्यस्थता न्याय तक पहुंच का नया आयाम है। चूंकि यह संघर्ष समाधान का सर्वोत्तम नहीं तो सर्वोत्तम रूपों में से एक है। मध्यस्थता में न्याय की अवधारणा प्रोफेसर स्टूलबर्ग, लव, हाइमन और मेन्केल-मेडो (आत्मनिर्णय सिद्धांतकारों) के कार्यों में उन्नत है।

न्याय की उनकी परिभाषा मुख्य रूप से पार्टी के आत्मनिर्णय के अभ्यास से ली गई है। वे उस जादू के बारे में आशान्वित हैं जो तब घटित हो सकता है जब लोग बेहिचक निजी चर्चा में अपनी जरूरतों और डर के बारे में ईमानदारी और सहानुभूतिपूर्वक खुलकर बात करते हैं। और, विचारकों के रूप में, ये न्यायविद आशावादी हैं कि मानवीय भावना की उदारता संरचनात्मक असंतुलन और संसाधन बाधाओं पर विजय पा सकती है। प्रोफ़ेसर स्टूलबर्ग ने यूनिफ़ॉर्म मॉडल मध्यस्थता अधिनियम, निष्पक्षता और मध्यस्थता के प्रारूपण पर अपनी उत्कृष्ट टिप्पणी में, इस स्पष्ट भविष्यवाणी के साथ शुरुआत की है कि "निष्पक्षता का अर्थ कानूनी न्याय की अवधारणा से समाप्त नहीं होता है।" सच तो यह है कि लेख में जो अधिक तीखा तर्क दिया गया है वह यह है कि कानूनी मानदंड अक्सर निष्पक्षता की हमारी धारणा और कई विवादकर्ताओं की निष्पक्षता की धारणा से काफी नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं। स्टुलबर्ग की दृष्टि में कानूनी नियम अपनी कठोरता और अनम्यता के कारण न्याय करने में सक्षम नहीं हैं। प्रोफेसर लैला लव और जोनाथन एम. हाइमन का तर्क है कि मध्यस्थता सफल है क्योंकि यह भविष्य के सहयोग के लिए एक मॉडल प्रदान करती है। लेखकों का कहना है कि मध्यस्थता की प्रक्रिया यह सबक देती है कि जब लोगों को एक ही

कमरे में एक साथ रखा जाता है और एक-दूसरे के लक्ष्यों को समझाया जाता है, तो वे मिलकर एक उचित समाधान तक पहुंचेंगे। वे अब्राहम लिंकन के उद्घाटन भाषण का हवाला देते हैं जिसमें प्रस्तावित किया गया था कि लोकतंत्र में, "लोगों के बीच न्याय करने के लिए 'अंतिम न्याय में धैर्यपूर्ण विश्वास' होना चाहिए।". . . हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक स्तंभ है।" प्रोफ़ेसर कैरी मेनकेल-मीडो इस मामले को बनाने में एक संबंधित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं कि निपटान की अपनी एक राजनीतिक और नैतिक अर्थव्यवस्था होती है और लिखते हैं:

> "अक्सर यह दावा किया जाता है कि न्याय तभी सामने आता है जब वकील और उनके मुवक्किल इसके अर्थ पर बहस करते हैं, और बदले में, कोई आधिकारिक व्यक्ति या निकाय इसके अर्थ पर जोर देता है, जैसे कि बीसवीं शताब्दी के अंत के विहित मामलों में... कई लोगों के लिए अब वर्षों से, मैंने सुझाव दिया है कि न्याय की उपलब्धि के अन्य घटक भी हैं। सबसे विशेष रूप से, मैं उस प्रक्रिया का उल्लेख करता हूं जिसके द्वारा हम न्याय चाहते हैं (पार्टी की भागीदारी और सशक्तिकरण, समझौता या आदेश के बजाय सर्वसम्मति) और

विशेष प्रकार के परिणाम जो इसे प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं (द्विआधारी जीत नहीं-समाधान खोएं, लेकिन रचनात्मक, पाई-विस्तार या यहां तक कि साझा समाधान)।"

मध्यस्थता में न्याय बाहरी विकास, मानव स्वभाव के बारे में विश्वास और कानूनी विनियमन को भी शामिल करता है। विभिन्न न्यायविद इस विश्वास के साथ मध्यस्थता की ओर आकर्षित होते हैं कि मुकदमेबाजी और प्रतिकूल युद्ध ही संघर्ष से निपटने का एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका नहीं है। और कैसे आशावादी और संदेहपूर्ण मध्यस्थ मानव आचरण के कच्चे माल से निष्पक्ष परिणाम तैयार करने के लिए व्यक्तिगत पार्टियों और संस्थागत अभिनेताओं की क्षमताओं का आकलन करते हैं।

मध्यस्थता विवाद के सभी पक्षों को स्वीकार्य एक उचित समाधान सुनिश्चित करती है जिससे 'जीत-जीत' की स्थिति प्राप्त होती है। यह केवल मध्यस्थता है जो पक्षों को उनके विवादों और उसके समाधान दोनों पर नियंत्रण देती है। यह मध्यस्थता है जिसके माध्यम से पक्षकार एक-दूसरे के साथ वास्तविक अर्थों में संवाद कर सकते हैं, जो कि विवाद शुरू होने के बाद से वे नहीं कर पाए हैं। यह मध्यस्थता है जो प्रक्रिया को स्वैच्छिक बनाती है और पार्टियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं करती है। यह

मध्यस्थता है जो कीमती समय, ऊर्जा के साथ-साथ लागत भी बचाती है जिसके परिणामस्वरूप गरीब वादियों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर सरकारी खजाने पर कम बोझ पड़ सकता है। यह मध्यस्थता है जो दीर्घकालिक हित पर ध्यान केंद्रित करती है और पक्षों को निपटान के लिए कई विकल्प बनाने में मदद करती है। यह मध्यस्थता है जो टूटे हुए रिश्ते को बहाल करती है और अतीत को विच्छेदित करने पर नहीं बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मूल्यों के एक वैकल्पिक सेट पर आधारित है जिसमें औपचारिकता को प्रक्रिया की अनौपचारिकता, पार्टियों की प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा निष्पक्ष परीक्षण प्रक्रियाओं, मानक निर्माण द्वारा लगातार मानदंड प्रवर्तन, विश्वसनीय साथियों की भागीदारी द्वारा न्यायिक स्वतंत्रता आदि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। यह न्याय की एक वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तुत करता है।

19. हमने जानबूझकर मध्यस्थता प्रक्रिया के उपरोक्त लाभों को इस आशा में बताया है कि यदि अभी नहीं, तो निकट भविष्य में पक्षकार अपने लाभ के लिए इस तंत्र का उपयोग करने पर सहमत हो सकते हैं।

20. इस पृष्ठभूमि में, 2010 की एसएलपी (सी) संख्या 6873 में बख्शी समूह के लिए उपस्थित हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यन्त दवे ने

संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक गंभीर दलील दी और एक प्रस्ताव रखा। पार्टियों के बीच विभिन्न अदालतों में लंबित संपूर्ण मुकदमेबाजी को ऐसी शर्तों पर रखकर समाप्त करें, जो यह अदालत दोनों पक्षों के लिए न्यायसंगत मानती है। बख्शी ग्रुप की ओर से उन्होंने खोसला ग्रुप को 50% जमीन सरेंडर करने/देने का प्रस्ताव भी दिया और साथ ही रुपये की राशि भी दी। 6.40 करोड़, उन्होंने यहां तक कहा कि यदि यह न्यायालय उक्त राशि को अपर्याप्त पाता है तो न्यायालय को अधिक राशि तय करने का अधिकार होगा। हालाँकि, यह दूसरे पक्ष को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उनके अनुसार न केवल वे पूरी ज़मीन पाने के हक़दार हैं जो उनकी है बल्कि बख्शी समूह उन्हें जो मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है वह उस राशि से कई गुना अधिक होगा। की पेशकश की। कहीं हमें गलत न समझा जाए, हम किसी भी पक्ष को दोष नहीं दे रहे हैं। हमने यह संकेत केवल पार्टियों के बीच हुए विवाद की भयावहता का संकेत देने के लिए दिया है। साथ ही, चूंकि अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग प्रकृति के कई मामले लंबित हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना और उन सभी मामलों को हल करना संभव नहीं है। हालाँकि, हमें स्थिति पर दुख है। पार्टियों के

बीच एमओयू/सहयोग समझौते से जो विवाद पैदा हुआ है, वह अनोखा या अभूतपूर्व नहीं है। इस प्रकार के मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। आए दिन इस तरह के मुकदमे होते रहते हैं जो सुश्री सोनिया खोसला द्वारा सीएलबी में दायर किए जाते हैं। हालाँकि, जो अभूतपूर्व है वह यह है कि सीएलबी के समक्ष एक याचिका से उत्पन्न आज पार्टियों के बीच कार्यवाही की संख्या बढ़ने के साथ इस मुकदमे ने भयानक रूप धारण कर लिया है।

21. वास्तव में, हालांकि पार्टियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने पिछले अवसरों पर हमारे सामने मामलों पर विस्तार से बहस की थी, तर्क के निष्कर्ष के चरण में, खोसला समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कामा ने जल्द से जल्द सुझाव दिया एक बेहतर विकल्प के रूप में सीएलबी के समक्ष कंपनी की याचिका का निर्णय ताकि पार्टियों के बीच कम से कम मुख्य विवाद पर शीघ्र निर्णय हो सके। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो मुद्दे इन दो विशेष अनुमति याचिकाओं के विषय हैं और उच्च न्यायालय में कार्यवाही से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति दिनांक 31.1.2008 के आदेशों में हुई है, जो सीएलबी द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश है। इस प्रकार, उन्होंने बताया कि एक बार कंपनी की याचिका पर निर्णय हो जाने के बाद, इसमें शामिल मुद्दे, जैसे कि क्या 14.12.2007 की बोर्ड बैठक अवैध

थी या क्या 30.9.2006 की बोर्ड बैठक कानूनन वर्जित थी, पर भी निर्णय लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सीएलबी यह भी निर्णय लेने की स्थिति में होगा कि कथित तौर पर 30.9.2006 को आयोजित कंपनी की एजीएम के मिनट्स जाली हैं या नहीं और उसके आधार पर धारा 340 सीआर के तहत आवेदन किया जाएगा। कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष दायर की गई पीसी की देखभाल भी सीएलबी द्वारा ही की जाएगी। बख्शी समूह की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कामा द्वारा सुझाई गई कार्रवाई के उपरोक्त तरीके से तुरंत सहमत हो गए। हमें खुशी है कि कम से कम दोनों पक्षों के बीच कार्रवाई की प्रक्रियात्मक प्रक्रिया पर सहमति बनी है, जिससे हमारे सामने मौजूद मामलों को भी शांत किया जा सके। उपरोक्त सर्वसम्मति के मद्देनजर, पार्टियों के बीच विवादों को तय करने में अपनाई जाने वाली कार्रवाई के बारे में, हम कंपनी लॉ बोर्ड को निर्देश देते हैं कि वह सुश्री सोनिया खोसला द्वारा उसके समक्ष दायर 2007 की कंपनी याचिका संख्या 114 पर एक निश्चित अवधि के भीतर निर्णय लें। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने। चूंकि, यह सीएलबी ही है जो धारा 340 सीआर के तहत आवेदन पर निर्णय लेगा। सुश्री सोनिया खोसला द्वारा सीएलबी में दायर पीसी, उच्च न्यायालय को आपराधिक विविध के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं

है। (को.) 2008 की संख्या 3। इसी तरह यह सवाल कि क्या श्री आरके गर्ग को निदेशक के रूप में वैध रूप से शामिल किया गया था या नहीं, सीएलबी द्वारा विचार किया जाएगा, श्री आरके गर्ग द्वारा दायर 2009 की कंपनी अपील संख्या (एसबी) 23 में कार्यवाही उच्च न्यायालय में भी निरर्थक हो जाते हैं।

22. एकमात्र पहलू जिस पर कुछ निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है, वह यह है कि अंतरिम व्यवस्था क्या होनी चाहिए। बख्शी समूह अंतराल को जारी रखने के लिए सीएलबी द्वारा दिनांक 31.1.2008 को पारित आदेश चाहता है। दूसरी ओर, खोसला समूह दिनांक 11.4.2008 के आदेशों का हवाला देता है क्योंकि उनका कहना है कि यह सीएलबी के आदेशों के बाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक सहमति आदेश था और इसलिए, इस आदेश को इस बीच क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहिए।

23. मामले पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि सीएलबी द्वारा पारित दिनांक 31.1.2008 के आदेश या उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 11.4.2008 के आदेश को लागू करना आवश्यक नहीं है। तथ्य यह है कि जहां तक कंपनी के मामलों का सवाल है, पूरी तरह से गतिरोध बना हुआ है। परियोजना शुरू नहीं हुई है. वर्तमान में यह लगभग मृतप्राय है।

21.12.2005 के एमओयू के अनुसार, जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक संयुक्त उद्यम यानी रिसॉर्ट विकसित करने का कोई मौका नहीं है। सीएलबी के निर्णय के बाद ही, जिससे पार्टियों के संबंधित अधिकार स्पष्ट हो जाएंगे, इस परियोजना के भविष्य के बारे में जानना संभव होगा। यहां तक कि विचाराधीन कंपनी भी वर्तमान में निष्क्रिय है क्योंकि इसकी कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधि या उद्यम नहीं है। ऐसी स्थिति में, हमारी राय है कि सीएलबी के समक्ष उपरोक्त कंपनी की याचिका लंबित होने के दौरान पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना अधिक उचित आदेश होगा। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है जिसके लिए कुछ अंतरिम आदेशों की आवश्यकता होती है, तो उचित निर्देशों के लिए पार्टियों को सीएलबी से संपर्क करने का अधिकार होगा।

24. इन दोनों याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटारा किया जाता है। आपराधिक अवमानना याचिकाओं और धारा 340 सीआरपीसी के तहत दायर याचिकाओं सहित अन्य सभी लंबित आई.ए. का भी निपटारा कर दिया गया है क्योंकि इस मामले के तथ्यों के अनुसार, हम इस तरह के आवेदन पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल याचिका निस्तारित की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनल मिश्रा (आर.जे.एस.) अजमेर (RJ01257) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।